4प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.03.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त रिहान पुत्र सगीर निवासी मलिकनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को मलिक नगर चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर गिरोह बनाकर लूट के अपराध कारित करता हूँ तथा पूर्व में अपने साथियों के साथ लूट के अभियोग में जेल जा चुका हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिहान पुत्र सगीर निवासी मलिकनगर कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर लूट/आर्म्स एक्ट/गैंगस्टर एक्ट के कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा दो पक्षों द्वारा मारपीट कर बल्वा की घटना कारित करने वाले 07 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16.03.2025 को थाना खोड़ा पर मारपीट की घटना में जाँच करने गए उ0नि0(मय पुलिस बल) के सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्ष आपस में लाठी, डण्ड़ा, पत्थर आदि से हमलावर हो गए है। जिसमें तत्काल थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 17.03.2025 को चेकिंग के दौरान दोनों पक्षों के मारपीट कर बल्वा की घटना कारित करने वाले 07 अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र आस मोहम्मद निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष, 2. समीर पुत्र आरिफ मलिक निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष, 3. राशिद पुत्र रफाकत निवासी ई-17 गली नं04 खोड़ा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष, 4.नूर मौहम्मद पुत्र रमजानी निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष, 5. नदीम पुत्र रफाकत निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष, 6. निजाम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मक्की मस्जिद के सामने लोकप्रिय विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष व 7. आरिफ पुत्र अलाउद्दीन निवासी कला इन्कलेव चांद मस्जिद के पास खोड़ा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को इतवार पुस्ता खोड़ा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 125,191(2),190,352,351(2),324(4),191(3) बीएनएस व 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः- दिनांक 16.03.2025 को प्रथम पक्ष के 1. समीर पुत्र आरिफ निवासी गली नं0-5 नूरानी मस्जिद खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद, 2. इमरान पुत्र आस मौहम्मद निवासी 525 लोकप्रिय विहार मक्की मस्जिद के पास खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद, 3. साहिल पुत्र आरिफ निवासी 525 लोकप्रिय विहार खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद के साथ वसीम, नदीम, राशिद व फैसल ने मारपीट की थी । जिसमें समीर, इमरान व साहिल को चोटें आयी थी । जिनका चिकित्सीय परीक्षण थाना खोड़ा पुलिस द्वारा कराने के लिए एमएमजी गाजियाबाद भेजा गया था । इस संबंध में जांच करने हेतु उ0नि0 मय पुलिस बल के मक्की मस्जिद के पास आये तो यहां पर प्रथम पक्ष के आस मौहम्मद पुत्र करीम, इरफान पुत्र करीम, परवेज पुत्र आस मौहम्मद व परवेज का छोटा भाई व इसके 4-5 अन्य पारिवारिक जनों ने दूसरे पक्ष के राशिद पुत्र रफाकत, नूर मौहम्मद पुत्र रमजानी, नदीम पुत्र रफाकत, सलीमुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान, वसीम, फैसल, मौ0 कैफ पर हमलावर हो गये और गाली-गालौच व एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हुए हाथों में लाठी डण्डों, छुरी व पत्थर की टाइलों से हमला करते हुए एक दूसरे के ऊपर पथराव शुरु कर दिया । तदोपरांत दूसरे पक्ष के राशिद पुत्र रफाकत, नूर मौहम्मद पुत्र रमजानी, नदीम पुत्र रफाकत, सलीमुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान, वसीम, फैसल, मौ0 कैफ ने भी पथराव कर दिया । इनके इस कृत्य से आम जनमानस का फैक्ट्रियों कारखानों से काम पर आने-जाने वाले मजदूरों आदि का आवागमन जारी था । पथराव बल्वा देखकर आने-जाने वाले आम नागारिकों महिला-पुरुष और बच्चों के अंदर भय की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । जिससे बचने के लिए आने-जाने वाले आम नागारिकों को जहां सुरक्षित जगह दिखी वह अपनी जान बचाने के लिए दीवार, खम्भा आदि के सहारे बचने को छुपने को मजबूर हो गये थे तथा आम नागारिकों में जान माल का खतरा उत्पन्न हो रहा था कुछ समय के लिए आम रास्ता गली पूर्ण रुप से बाधित होकर बंद हो गयी थी । इनके आपसी पथराव में गली में खड़ी सफेद रंग की क्रेटा कार रजि नं0-UP16DE1801 आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त हो गयी तथा सलीमुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान को भी आंशिक चोटें आपसी पथराव में आयी है । मौके से निम्न उपद्रवी राशिद पुत्र रफाकत, नूर मौहम्मद पुत्र रमजानी, नदीम पुत्र रफाकत, निजाम पुत्र अब्दुल गफूर, आरिफ पुत्र अलाउद्दीन को पकड़ कर मेडिकल के लिए भेजा गया । क्षतिग्रस्त सफेद रंग की क्रेटा कार रजि नं0-UP16DE1801 थाना खोड़ा पर लाकर दाखिल किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. इमरान पुत्र आस मोहम्मद निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष ।
2. समीर पुत्र आरिफ मलिक निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।
3. राशिद पुत्र रफाकत निवासी ई-17 गली नं04 खोड़ा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष ।
4. नूर मौहम्मद पुत्र रमजानी निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष ।
5. नदीम पुत्र रफाकत निवासी लोक प्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष ।
6. निजाम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मक्की मस्जिद के सामने लोकप्रिय विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष ।
7. आरिफ पुत्र अलाउद्दीन निवासी कला इन्कलेव चांद मस्जिद के पास खोड़ा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से टप्पेबाजी से सम्बन्धित 02 लाख रूपये, पीली धातु की एक अगूँठी व एक जोडी कान के टॉप्स बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 16.03.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. मौ0 कलम पुत्र टीकू खान निवासी म0न0 बी-7 गली न0-2 थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष व 2. इमरान उर्फ अबुल हसन पुत्र अब्दुल जव्बार निवासी झुग्गी संख्या ई-44 गली न0-201 थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को ताहिरपुर कट डीएलएफ के पास से टप्पेबाजी से सम्बन्धित 02 लाख रूपये, पीली धातु की एक अगूँठी व एक जोडी कान के टॉप्स सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 कलम पुत्र टीकू खान व इमरान उर्फ अबुल हसन पुत्र अब्दुल जव्बार उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की धारा - 303(2),318(4) में धारा - 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 कलम पुत्र टीकू खान व इमरान उर्फ अबुल हसन पुत्र अब्दुल जव्बार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 कलम उपरोक्त ने अपने साथी इमरान उर्फ अबुल हसन के साथ बरामद अगूँठी को करीब 02 महीने पहले 80 फुटा रोड़ शालीमार गार्डन के पास से एक महिला से बहला फुसला कर पीली धातु की दो अगूँठी, पीली धातु के कान के टोप्स व पीली धातु की एक गले की चैन ले ली थी, जिसमें से पीली धातु की एक अगूँठी व पीली धातु की गले की चैन दिल्ली में राह चलते व्यक्ति को बेच दी और बेचने से जो पैसे मिले वो दोनों ने नशे-पत्ते व शौक मौज में खर्च कर दिये। शेष बची हुई अगूँठी और टोप्स दोनों के पास से बरामद हुई है। तथा बरामद 02 लाख रूपयों के बारे में पूछताछ की गई तो अभियुक्त मौ0 कलम पुत्र टीकू खान उपरोक्त ने बताया कि मेरे पास से जो 1,10,000/- रु0 बरामद हुए है, वे मैं और मेरा साथी इमरान उर्फ अबुल हसन व रेशमा हम तीनों ने मिलकर सउदी के रियाल दिखाकर लगभग 6-7 दिन पहले भोपुरा चौक डीएलएफ के पास से एक व्यक्ति को बुलाकर रियाल देने के बहाने उस व्यक्ति से 2 लाख 50 हजार रूपये की ठगी की थी। जिसमें से 70 हजार रूपये रेशमा ले गयी थी तथा 80 हजार रूपये इमरान उर्फ अबुल हसन ने लिए थे जो कि अभियुक्त इमरान उर्फ अबुल उपरोक्त से बरामद 90 हजार रुपयों में से 80 हजार रुपये इसी घटना के है तथा शेष 10,000/- रुपये अन्य घटना के है तथा बचे हुए 01 लाख रूपये मेरे पास है। दोनों अभियुक्तों ने शेष बचे हुए 10-10 हजार रूपये के बारे में बताया कि लगभग 3-4 महिने पहले हम दोनों ने इसी प्रकार एक व्यक्ति से भारत माता चौक शालीमार गार्डन के पास से सउदी रियाल देने के नाम पर 02 लाख 24 हजार रूपये की ठगी की थी। ये बचे हुए 10-10 रूपये उसी घटना के है। बाकी पैसे मैंने और मेरे साथी इमरान उर्फ अबुल हसन ने आपस में बाँटकर खर्च कर दिए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मौ0 कलम पुत्र टीकू खान निवासी म0न0 बी-7 गली न0-2 थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष।
2. इमरान उर्फ अबुल हसन पुत्र अब्दुल जव्बार निवासी झुग्गी संख्या ई-44 गली न0-201 थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- टप्पेबाजी से सम्बन्धित 02 लाख रूपये, पीली धातु की एक अगूँठी व एक जोडी कान के टॉप्स बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 कलम पुत्र टीकू खान व इमरान उर्फ अबुल हसन पुत्र अब्दुल जव्बार उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर टप्पेबाजी करने से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

मेरठ जोन, मेरठ की 28वीं अन्तरजनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर (महिला/पुरूष) कुश्ती, बांक्सिंग, बाडी बिल्डिंग व आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता वर्ष 2025 का शुभारम्भ

मेरठ जोन, मेरठ की 28वीं अन्तरजनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर (महिला/पुरूष) कुश्ती, बांक्सिंग, बाडी बिल्डिंग व आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 17.03.2025 से दिनांक 19.03.2025 तक महामाया स्पोर्टस स्टेडियम कमिश्नरेट गाजियाबाद में किया जा रहा है। उक्त प्रतियोगता में मेरठ जोन, मेरठ के जनपद हापुड, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली एवं कमिश्नरेट गौतबुद्धनगर व गाजियाबाद के 216 खिलाडियो के द्वारा कुश्ती, बांक्सिंग, बाडी बिल्डिग न आर्म रेसलिंग के अलग-अलग भार वर्गो मे प्रतिभाग किया गया है। आज दिनांक 17.03.2025 को महामाया स्पोर्टस स्टेडियम गाजियाबाद में समय 09:00 बजे प्रतियोगिता का शुभारम्भ सुश्री लिपि नगायच IPS सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी/लाइन्स के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के शुभारम्भ के अवसर पर श्री धर्मेन्द्र सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स उ0नि0स0पु0 श्री महावीर सिंह, अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

आज दिनांक 17.03.2025 को 53 किग्रो भारवर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में हेमलता कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने प्रथम एवं श्वेता जनपद मेरठ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और पुरूष वर्ग में 65 किग्रा में अभिषेक जनपद मेरठ ने प्रथम स्थान एवं आदेश जनपद सहारनपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा बांक्सिंग महिला वर्ग में 51 किग्रा मे राशि शर्मा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने प्रथम स्थान एवं अंजू कमिश्नरेट गाजियाबाद ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा कुकृत्य व हत्या की घटना का सफल अनावरण तथा घटना कारित करने वाले वादी /अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 13.03.2025 को वादी ज्ञान सिंह पुत्र सीताराम निवासीः खुशी वाटिका, बंसल डेरी के पास, नियर एसआरबी स्कूल सेवाधाम, थाना लोनी बॉर्डर, जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि पडोसन अभियुक्ता श्रीमती शान्ति देवी द्वारा वादी के घर खाने के लिए कढी देना जिससे वादी व वादी की पत्नी व बच्चों की तबियत खराब हो जाने तथा वादी की 07 वर्षीय पुत्री की मृत्यु हो जाना । जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पडोसन श्रीमती शान्ति देवी के विरुद्ध सुसंगत धारा 105 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं मृतका की पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराने की कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही के पश्चात् विवेचनात्मक कार्यवाही , परिस्थितिजन साक्ष्य तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन एवं गवाहों के आधार पर मृत्यु का कारण कढ़ी खाने से होना नहीं पाया गया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के साथ कुकृत्य किये जाने एवं दम घुटने से मृत्यु होने की पुष्टि हुई। जिसके सम्बन्ध में गहराई से

विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी एवं मुकदमा वादी की पत्नी एवं अन्य घर के परिजनों, बच्चों से पूछताछ की गयी तो उक्त सम्बन्ध में प्रकाश में आया कि मुकदमा वादी द्वारा ही मृतका के साथ गलत काम किये जाने व समाज में बदनामी व डर की वजह से उसका गला दबाकर हत्या करना पाया गया। उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 105 बीएनएस का होना नही पाया गया एवं साक्ष्यो के आधार पर धारा 103(1)/65(2) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई तथा सीसीटीवी फुटेज तथा मैनुअल इनपुट के आधार पर वादी / अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र सीताराम निवासी खुशी वाटिका थाना लोनी बार्डर, जनपद गाजियाबाद उम्र 52 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त/ वादी ज्ञान सिंह पुत्र सीताराम निवासी खुशी वाटिका, बंसल डेरी के पास, नियर एसआरबी स्कूल सेवाधाम, थाना लोनी बार्डर, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र सेवाधाम से जीडीए पार्क के सामने बिजली के पोल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से स्वयं का एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। वादी द्वारा ही अपने बचाव में अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ही यह कहानी गढ़ी गयी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैने दिनांक 12.03.2025 की रात को कामोत्तेजना वश अपनी पुत्री के साथ गलत काम किया था और बदनामी के डर से उसकी गला दबा कर हत्या कर दी थी और अपने बचाव में झूठी कहानी गढ़कर अपनी पडोसन शान्ति देवी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था साहब मुझे पता लग गया था कि पुलिस को सारी कहानी पता चल गयी है इसीलिए मैं बचता-बचाता घूम रहा था एवं आज भागने की फिराक में था कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

ज्ञान सिंह पुत्र सीताराम निवासी खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर, जनपद गाजियाबाद उम्र 52 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।